

बिहार राज्य सरकार

अधिसूचना

पटना, दिनांक १२/०७/७७- ब्रिज, १ डिग्री राजमाल के

विचार में भारतीय दल अधिनियम १९२७ अधिनियम संख्या ४४, १९२७

में धारा ३३ के अधीन अधिकांश भाग और अभिलेख तैयार करने में इतना

अधिक समय लेगा कि इन दो राज राजमाल के अधिकांश भाग में पड़े जायेंगे।

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम में पूर्वोक्त उप धारा के धरनुक और

धारा २९ में उप धारा ३३ द्वारा प्रस्तुत शीतलों का प्रयोग करते हुये १ डिग्री

राजमाल घोषणा करते हैं कि ऐसी भाग होने लगे अभिलेख तैयार करने तक इनमें

क्या कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में, चाहे उनमें कोई दखल हो अथवा नहीं,

उक्त अधिनियम के अध्याय ३४ के उप धारा ३३ में, अर्थात् १० पैरुस विभाग में

के मानव एवं जायज कार्य-आपने जैसे परम्परा, सड़कों के चौड़ेकरण

आदि के स्वीय पर तथा विद्यमान अधिकारों पर कोई प्रतिभूत प्रभाव न पड़े।

अनुसूची

पथ का नाम	क्षेत्रफल वर्गमीटर	सोनांकन	मिली का नाम
2	3	4	5
1- हाजीपुर-उपरा-सोवान- गुठनी	155.70	भूमि पर सड़क के दोनों ओर पत्थर/आई स सोनांकित	सोवान/सारण वैशाली
2- हाजीपुर-हजारा-तामपुर- भूरोशान सनस्तोपुर-दरमंगा	107.53	-वडो-	वैशाली/सनस्तोपुर दरमंगा
3- हाजीपुर-हजारा-सोडिनी नगर, 74-90 उवाडा	74.90	-वडो-	वैशाली/सनस्तोपुर
4- उपरा-मौली-दरौली-गुठनी	84.4	-वडो-	सारण/सोवान
5- उपरा-सोवापुर	79.90	-वडो-	सारण/सोवान गोवालीन
6- उपरा-रेवाघाट-उपरा- मुजफ्फरपुर	60.00	-वडो-	सारण/मुजफ्फरपुर

..... 2/-